

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 780
उत्तर देने की तारीख : 24.07.2025
एमएसएमई प्लेटफॉर्म पर तकनीकी खराबी

780. डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिङ्गाची थंगापंडियन:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को तमिलनाडु में उद्यम, एमएसएमई समाधान अथवा ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) मंच के माध्यम से ऋण प्राप्त करने अथवा पंजीकरण प्राप्त करने में विलंब अथवा तकनीकी असफलताओं का सामना करना पड़ा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार ने प्लेटफॉर्म डाउनटाइम के कारण प्रणाली डाउनलोड प्रयासों अथवा आवेदन अस्वीकृति दरों को दर्ज किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
- (ग) प्रयोक्ताओं में विश्वास बहाल करने के लिए प्रणाली का उन्नयन, हेल्पलाइन का विस्तार अथवा ऑफलाइन सहायता जैसी क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है; और
- (घ) क्या सरकार प्लेटफॉर्म अप-टाइम के लिए सेवा-स्तरीय गारंटी स्थापित करेगी और प्रमुख शहरी समूहों में अस्थायी सुविधा सहायता केन्द्र प्रदान करेगी और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (घ) : एमएसएमई के पंजीकरण को सुगम बनाने हेतु दिनांक 01.07.2020 को उद्यम पंजीकरण पोर्टल (यूआरपी) शुरू किया गया था। अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) को औपचारिक एमएसएमई के दायरे में लाने और प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) के तहत लाभ प्रदान करने हेतु, मंत्रालय ने सिडबी के सहयोग से दिनांक 11.01.2023 को उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म (यूएपी) की शुरुआत की। एमएसई की बकाया देयताओं की निगरानी के लिए एमएसएमई समाधान पोर्टल शुरू किया गया था। इन पोर्टलों का प्रबंधन एमएसएमई मंत्रालय के एनआईसी सेल द्वारा किया जाता है। ट्रेड रिसीवेबल्स ई-डिस्काउंटिंग सिस्टम (ट्रेड्स) एमएसएमई के ट्रेड रिसीवेबल्स की छूट की प्रक्रिया में सुविधा प्रदान करता है। ट्रेड्स प्लेटफॉर्म आरबीआई द्वारा विनियमित इकाई हैं।

समय के साथ पंजीकरणों की संख्या में वृद्धि, यूएपी पर डेटा की बड़ी मात्रा में अपलोडिंग और कई मंत्रालयों/संगठनों के साथ एपीआई एकीकरण को देखते हुए, पोर्टल के संबंध में स्थान की कमी महसूस की गई है। मौजूदा प्रणाली की तकनीकी उन्नयन संबंधी आवश्यकता को देखते हुए, उद्यम पंजीकरण पोर्टल को संवर्धित सुरक्षा उपायों, कार्यनिष्पादन और भंडारण के साथ एनजीसी 2.0 में स्थानांतरित करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

एमएसएमई मंत्रालय द्वारा दिनांक 01.06.2020 को शुरू किए गए चैपियंस पोर्टल के माध्यम से एमएसएमई की शिकायतों का समाधान किया जा रहा है, जो एक आईसीटी आधारित प्रणाली है। इसके अलावा, एमएसएमई मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा एमएसएमई को हैंडहोल्डिंग सहायता भी प्रदान की जाती है।
